कार्यालय जिलाधिकारी, सम्भल।
(खनन अनुभाग)
ई–निविदा आमन्त्रण हेतु सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद सम्भल के तहसील गुन्नौर में नदी तल स्थित निजी भूमि में उपलब्ध निम्न विवरण के अनुसार बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी जो मिली जुली अवस्था में हो, के खनन क्षेत्रों को शासनादेश संख्या–2026/86–2019–57 (स)/2017 दिनांक 30.08.2019 में दिये गये निर्देशानुसार 06 माह की अल्प अवधि के लिये ई–टेण्डरिंग के माध्यम से खनन परिहार पर स्वीकृत किये जाने हेतु उपलब्ध घोषित किया जाता है तथा दिनांक–21.12.2024 समय 10:00 बजे पूर्वाह्न से दिनांक 27.12.2024 समय 05:00 बजे अपराह्न तक निम्नाकिंत क्षेत्र के लिये ई–निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्षेत्र का विवरणः–

क्र0 सं0	भूस्वामी/ भूस्वामियों के नाम	तहसील/ ग्राम	गाटा संख्या / खण्ड सख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)	सीमायें जियोकार्डिनेट्स			उपखनिज का नाम	खनन योग्य अनुमानित उपखनिज की मात्रा (घनमी0 में)	सा0 बालू की प्रचलित दर रूपये में	न्यूनतम आरक्षित मूल्य रूपये में	आरक्षितमूल्य का 25 प्रतिषत अर्नेस्ट मनी रूपये में।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	श्रीमति रश्मि देवी पत्नी लक्ष्मी नारायन निवासी 160/8 चन्दौसी रोड बबराला तहसील गुन्नौर जनपद सम्भल।			2.044 हे0	बिन्दु	अक्षान्तर	देषान्तर	सा0 बालू श्रेणी–1	50000 घनमीटर	65	3250000	812500
					बिन्दु–A	N 28°11'17.48"	E-78°24'45.64"					
					बिन्दु–B	N-28°11'12.83"	E-78°24'39.98"					
					बिन्दु–C	N-28°11'16.88"	E-78°24'36.70"					
					बिन्दु–D	N-28°11'19.28"	E-78°24'41.50"					
2	लक्ष्मी नारायन पुत्र राजवीर	गुन्नौर/ होतमगढी खाम	342, 343, 344									
3	1– सोनवती पत्नी धर्मवीर सिंह 1/2 भाग 2– प्रेमलता पत्नी धर्मपाल 1/2 भाग											

ई–टेण्डरिंग प्रणाली की कालयोजना एवं अवधि निम्नानुसार सम्पादित की जायेगीः–

ई–निविदा (ई–टेण्डर) डालने की अवधि	दिनांक–21.12.2024 समय 10:00 बजे पूर्वाह्न से दिनांक 27.12.2024 समय 05:00 बजे अपराह्न
ई–निविदा के अपलोड स्कैन कॉपी की हार्ड कॉपी मूल प्रति जमा कराने हेतु	ई–निविदा में प्रतिभाग करने के बाद से ई–निविदा खोले जाने से एक घण्टा पूर्व तक
ई–निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 28.12.2024 समय 12:00 बजे पूर्वाह्न

2. परिहार की अवधि में मानसून सत्र (जुलाई, अगस्त, सितम्बर) की अवधि सम्मिलित नहीं मानी जायेगी।

3. कोई व्यक्ति/फर्म/निकाय जो भारतीय नागरिक हो, जिलाधिकारी को सम्बोधित ई–निविदा संलग्न प्रारुप–2 पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसमें निम्नलिखित बाते होंगीः–

क. विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया हो।
ख. विज्ञप्ति में क्षेत्र का कमांक।
ग. निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता (स्थायी और वर्तमान) ई–मेल एवं मोबाईल नं० (पता के प्रमाण स्वरूप व्यक्ति के लिए आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र तथा फर्म/कम्पनी/निकाय के लिये उनका पंजीकरण का विवरण)
घ. क्या आवेदक भूस्वामी है। (हाँ/नहीं)
ड. उस क्षेत्र और खनिज का विवरण जिसके लिये उसने निविदा प्रस्तुत की है। जिसमें निम्न हो:–
भूस्वामी का नामः–
उपखनिज का नामः–
तहसील का नामः–
खनन क्षेत्र का नाम/ग्रामः–
गाटा संख्या/खण्ड संख्या/जोन संख्याः–
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
विज्ञप्ति में दी गयी खनन योग्य अनुमानित खनिज की मात्रा–
च. ई–निविदा की प्रकिया में भाग लेने हेतु अप्रतिदेय आवेदन शुल्क रू0 15,000/– के जमा का चालान/बैंक ड्राफ्ट (जो जिलाधिकारी सम्भल के नाम देय हो)
छ. प्री बिड अर्नेस्ट मनी का ड्राफ्ट (जिसकी गणना क्षेत्र में आंकलित खनन योग्य मात्रा एवं उपखनिज की रायल्टी दर से गुणा कर प्राप्त धनराशि का 25 प्रतिशत होगा)
ज. खनिज के प्रति घन मी० के लिये दी जाने वाली ई.निविदा की दर (ई.निविदा की दर उस खनिज के लिये नियमावली. 2019 के प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रायल्टी की दर से कम नही होगी।)
झ. जिलाधिकारी या ऐसे अधिकारी द्वारा जो जिलाधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, द्वारा जारी खनन अदेयता का प्रमाण पत्र परन्तु जहां आवेदक प्रदेश में पट्टाधारक/परिहारधारक न रहा हो, वहां इस आशय का शपथ पत्र।
ट. भूस्वामी को छोड़कर अन्य व्यक्ति/फर्म को उस जिले के जिलाधिकारी, जहाँ वह स्थायी रूप से निवास करता है से जारी चरित्र प्रमाण पत्र।
ठ. भूस्वामी को छोड़कर अन्य व्यक्ति/फर्म को ऋण शोधन क्षमता प्रमाण पत्र या ऋण शोधन क्षमता प्रमाण पत्र के साथ बैंक प्रत्याभूति/हैसियत प्रमाण पत्र जो ई–निविदा की धनराशि के 25 प्रतिशत से कम न हो।

4. बिन्दु संख्या–3 में उल्लिखित वांछित अभिलेखों तथा ड्राफ्ट की स्कैन प्रति ई–टेण्डर के साथ अपलोड किया जाना होगा।

5. यदि निविदाकार द्वारा बिन्दु संख्या–3 में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई–निविदा के साथ अपलोड नहीं की जाती है तो उसकी ई–निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड किये जाने वाले अभिलेखों की मूल प्रति/प्रमाणित प्रति तथा ड्राफ्ट की मूल प्रति निविदा खोले जाने से पूर्व निर्धारित अवधि के अन्तर्गत जमा करनी होगी।

6. ई–निविदा आमंत्रण की तिथि के अन्दर ई.टेण्डर पोर्टल http://etender.up.nic.in पर निविदाकार के द्वारा अपनी ई–निविदा अपलोड की जायेगी।

7. यू०पी० इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लि० लखनऊ को प्रदेश में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में ई–टेण्डरिंग लागू किये जाने हेतु नोडल संस्था नामित किया गया है। निविदाकार को ई–टेण्डरिंग प्रकिया में भाग लेने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही करनी होगी:–
(क). ई–टेन्डरिंग प्रकिया में प्रतिभाग करने वाले विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स द्वारा किसी भी सर्टिफाइंग एजेन्सी से डिजिटल सिगनेचर प्राप्त करना होगा।
(ख). ई–टेन्डरिंग पोर्टल पर विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स द्वारा अपनी कम्पनी/फर्म का रजिस्ट्रेशन यू०पी० इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से कराया जायेगा।
(ग). विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/बेन्डर्स ई–टेण्डर पोर्टल पर प्रशिक्षण यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड से निःशुल्क प्राप्त कर सकते है।

8 निविदाकर द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन ई–टेण्डरिंग पोर्टल पर करा लेने तथा डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करने के उपरान्त अपनी निविदा ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करने हेतु निम्नांकित कार्यवाही की जानी होगी:–

i. सर्वप्रथम निविदाकार द्वारा ई–टेण्डर पोर्टल पर लॉगिंग आई०डी० (Login ID) एवं पासवर्ड (Password) के द्वारा ई–टेण्डर पोर्टल में प्रवेश किया जायेगा।

ii. तत्पश्चात निविदाकार द्वारा डिजिटल सिग्नेचर का सत्यापन (Verification) ई–टेण्डर पोर्टल पर किया जाना होगा।

iii. निविदाकार द्वारा सर्च एक्टिव टेण्डर (Search Active Tender) पर क्लिक कर अपनी रूचि की निविदा का चयन कर उक्त निविदा पर प्रतिभाग (Paricipate) करने हेतु क्लिक करना होगा।

iv. निविदाकार द्वारा कम्प्यूटर स्क्रीन पर ही निविदा संबंधित सभी जानकारी को सीधे देखा जा सकता है अथवा उक्त निविदा को डाउनलोड कर उसके प्रिन्ट आउट द्वारा विवरण को पढ़ा जा सकता है।

V. निविदाकार द्वारा निविदा के समुचित अध्ययन किये जाने के उपरान्त अपनी निविदा का ई.टेण्डर पर अपलोड करने के पूर्व प्रस्तर 3 में दिये गये विवरण के अनुसार विभिन्न अभिलेखों, दस्तावेजों की स्कैण्ड कापी कर पी०डी०एफ० फाईल बनायी जानी होगी।

vi. ई.टेण्डर डाकूमेंटस की आवश्यकताओं के अनुरूप सभी वांछित दस्तावेजों की पी०डी०एफ० फाईल तैयार हो जाने के पश्चात निविदाकार द्वारा "पे ऑफ लाईन" (Pay offline) विकल्प पर क्लिक करने पर एग्रीमेन्ट (Agreement) आईकन के कम्प्यूटर स्कीन पर प्रदर्शित होने पर निविदाकार द्वारा आई एग्री–सबमिट (I Agree Submit) पर क्लिक करना होगा।

vii. तत्पश्चात निविदाकार द्वारा प्रिबिड अर्नेस्ट मनी से संबंधित कालम में जमा धनराशि के बैंक ड्राफ्ट का नम्बर, बैंक का नाम इत्यादि विवरण भरना होगा। भुगतान के विवरण की प्रविष्टियों भरने के बाद उसको Save कर लिया जायेगा।

viii. निविदाकार द्वारा अपनी निविदा को अपलोड करने हेतु कम्प्यूटर क्लिक करना होगा जिससे कि प्रि बिड अर्नेस्ट मनी को टेण्डर के साथ जमा किये जाने से संबंधित कार्य पूर्ण माने जायेंगे।

ix. यदि निविदाकार को ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा सबमिट की गई तकनीकी एवं वित्तीय बिड में कोई त्रुटि है अथवा उनके द्वारा पूर्व में जमा की गई निविदा/बिड्स में संशोधन करना वांछनीय है, तो माई बिड्स (My Bids) आईकन में क्लिक कर पुनः पूर्व प्रक्रिया को अपनाते हुए ई–निविदा रि–बिड सबमिशन (Rebid Submission) पर क्लिक कर पुनः सबमिट (Submit) कर सकते हैं। निविदाकार द्वारा यह कार्य टेण्डर जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि और समय से पूर्व किया जा सकता है। अन्तिम बार प्रस्तुत की गई निविदा (Last Submit Bid) ही ई–टेण्डर पोर्टल पर अनुमन्य होगी। पूर्व में प्रस्तुत की गई बिड्स अनुमन्य नहीं होगी।

9. ई–टेण्डर साईट का उपयोग करने के लिए Pentium-IV अथवा उच्च विशिष्टियों युक्त कम्प्यूटर तथा ब्रॉड बैण्ड इण्टरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होगी। कम्प्यूटर लाइनेक्स, विण्डोस एक्ससी सर्विस पैक 3 या उच्च आपरेटिंग सिस्टम एण्टीवायरस तथा इण्टरनेट एक्सप्लोरर वर्जन 7.0 या अधिक, के साथ होना चाहिए। इसके लिए इण्टरनेट केन्द्र की सेवायें ली जा सकती है।

10. जिला स्तर पर ई–टेण्डरिंग से सम्बन्धित टेण्डर्स अपलोड किये जाने, टेण्डर्स खोले जाने इत्यादि कार्यों हेतु जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (DIO-NIC) से सहायता ली जा सकती है तथा अन्य किसी जानकारी/स्पष्टीकरण/प्रशिक्षण हेतु यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 10, अशोक मार्ग, लखनऊ से भी सम्पर्क किया जा सकता है।

11. भूस्वामी/भूस्वामियों द्वारा क्षेत्र की ई–निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने पर उच्चतम बोली को संज्ञान में लेकर 07 (सात) कार्यदिवस के भीतर सम्बन्धित खनन क्षेत्र पर प्रादेशिक अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्ताव, जो उच्चतम बोली से अधिक हो प्रस्तुत करने का उसे/उन्हें एक अवसर प्राप्त होगा। ई–निविदा प्रकिया में भूस्वामी को भाग लेना आवश्यक नही है, परन्तु भूस्वामी/भूस्वामियों के पक्ष में खनन परिहार स्वीकृत होने की दशा में ई–निविदा के सम्बन्ध में बिन्दु सं0–03 में दी गयी समस्त शर्तों को पूर्ण करना आवश्यक होगा।

12. विज्ञप्ति के अनुसार ई निविदा प्राप्त करने की अन्तिम तिथि उपरान्त दिनांक 28.12.2024 को जिलाधिकारी सम्भल की अध्यक्षता में गठित समिति के सदस्यों के द्वारा खोला जायेगा। सर्वोच्च बोलीदाता को संज्ञान में लेकर 07 कार्यदिवसके भीतर सम्बन्धित खनन क्षेत्र पर प्रादेशिक अधिकारिता रखने वाले अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्ताव, जो उच्चतम बोली से अधिक हो प्रस्तुत करने का भूस्वामी/स्वामियों को एक अवसर प्रदान किये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

13. भूस्वामी द्वारा प्रथम इनकार के अधिकार का उपयोग नही करने पर उच्चतम बिडकर्ता के पक्ष में परिहार स्वीकृत किया जायेगा। उच्चतम बिड की धनराशि 20 प्रतिशत (प्रत्येक घन मी० हेतु) चयनित आवेदक द्वारा भू-स्वामी/स्वामियों को प्रतिकर के रूप में दिया जायेगा जो राज्य सरकार को संदेय धनराशि के अतिरिक्त होगी। भू-स्वामी/स्वामियों को देय ऐसी धनराशि प्रत्येक समय राज्य सरकार के भुगतान के साथ भूस्वामी के बचत खाता जो कि अनुसूचित बैंक में हो, में किया जाना अनिवार्य होगा। उपरोक्त गाटा संख्या में जो ग्राम समाज सम्पत्ति है। के अतिरिक्त अन्य गाटाओं में भविष्य में स्वतः विवाद की स्थिति में सक्षम न्यायालय व अधिकारी द्वारा यदि सरकारी सम्पत्ति पासी जाती है तो सरकारी सम्पत्ति से सम्बन्धित उपलब्ध उपखनिज पर 20 प्रतिशत की अतिरिक्त देयता जिलाधिकारी सम्भल के पदेन खाते में जमा रानी होगी, जिसका निस्तारण जिलाधिकारी महोदय द्वारा विचार कर किया जायेगा।

14. सफल निविदाकर्ता/भूस्वामी का चयन होने के उपरान्त समिति के संस्तुति के आधार पर उसे जिलाधिकारी द्वारा खनन परिहार हेतु सहमति पत्र (लेटर ऑफ इन्टेंट) जारी किया जायेगा। उच्चतम निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता को छोडकर अन्य द्वारा प्रस्तुत अग्रिम धनराशि के बैंक ड्राफ्ट को उसे वापस कर दिया जायेगा।

15. लेटर आफ इन्टेंट निर्गत होने के 03 कार्यदिवस में ई-निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत प्रतिभूति तथा 25 प्रतिशत प्रथम किश्त के रूप में, जिसमें अर्नेस्ट मनी की धनराशि समायोजित की जायेगी। सफल निविदाकार अथवा भूस्वामियों द्वारा उक्त धनराशि जमा नहीं करने पर जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी और इस सम्बन्ध में कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन विचार योग्य नहीं होगा। शेष 75 प्रतिशत धनराशि स्वीकृत परिहार अवधि के शेष अग्रिम माहों में समान प्रतिशत के रूप में परिहारधारक द्वारा भुगतान की जायेगी। यदि किसी अन्य प्रयोजन के लिए आवश्यक न हो तो प्रतिभूति धनराशि परिहार अवधि की समाप्ति उपरान्त एक माह के अन्दर परिहारधारक को वापस कर दी जायेगी।

16. जिलाधिकारी को कोई कारण बताए बिना समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार आरक्षित रहेगा।

17. खनन क्षेत्र अथवा अन्य किसी जानकारी के लिए संबंधित जिलाधिकारी कार्यालय के खनन अनुभाग से सम्पर्क किया जा सकता है।

18. सफल निविदाकार/भूस्वामी परिहार हेतु इस आशय का पत्र प्राप्त होने के उपरान्त वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक-14.09.2006 के प्राविधानों के अनुसार पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। सक्षम अधिकारी के समक्ष पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय खनन योग्य आंकलित मात्रा हेतु माइनिंग प्लान/स्कीम बनाते हुये आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।

19. यदि पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में दी गयी खनिज निकासी की मात्रा क्षेत्र के लिये आंकलित खनन योग्य भण्डार से भिन्न होती है, तब पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में अंकित मात्रा ही परिहार अवधि के लिए क्षेत्र से खनिज की निकासी हेतु अधिकतम मात्रा होगी तथा उस मात्रा के आधार पर ई-निविदा में दी गई दर को गुणा कर वास्तविक देय धनराशि की गणना की जायेगी।

20. पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त अनुबन्ध निष्पादन के पश्चात् ही खनन कार्य प्रारम्भ होगा।

21. परिहारधारक द्वारा मा० न्यायालय एवं मा० राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेश तथा उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

अन्य नियम एवं शर्तेः-

क- खनन पटटा आंवटित होने की स्थिति में खनन पटटा धारक द्वारा उक्त गाटाओ के सम्बन्ध में वन विभाग द्वारा दी गयी सशर्त अनापत्ति में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

ख ई-निविदा में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र/खण्ड के आंकलित उपखनिज (सा0 बालू) की मात्रा एवं खनन स्थल के लिए पहुंच मार्ग आदि के संबंध में मौके का स्थलीय निरीक्षण कर निविदाकर्ता आश्वस्त/संतुष्ट होने के उपरान्त

ही निविदा प्रक्रिया में भाग लेना सुनिश्चित करे। ई–निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के उपरान्त इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई दावा/आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

ग– ई–निविदा में प्रतिभाग करने वाले निविदादाता द्वारा उपरोक्त क्षेत्र में निविदा में लगायी गयी दर को उक्त क्षेत्र में आंकलित मात्रा से गुणांक करने के पश्चात् प्राप्त कुल धनराशि के सापेक्ष निविदादाता के पास 25 प्रतिशत का हैसियत प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। अन्यथा की स्थिति में प्राप्त ई–निविदा पर कोई दावा स्वीकार/मान्य नहीं होगा।

संलग्नक प्रारूपः– 2

(डॉ0 राजेन्द्र पैंसिया)
जिलाधिकारी,
सम्भल।

पत्र संख्या 265 /खनिज अनुभाग/2023–24 दिनांकः– 14/11/2024

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ०प्र०।
3. प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय बरेली भूतत्व एवं खनिकर्म, उ०प्र०।
4. निदेशक, यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कारर्पोरेशन लि०, अशोक मार्ग, लखनऊ।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० इस अनुरोध से प्रेषित की ई–निविदा आमंत्रण सूचना वाले व्यापक प्रचार प्रसार वाले कम से कम दो दैनिक समाचार प्रकाशित कराने एवं खनिज कार्यालय सम्भल को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी एनआईसी, लखनऊ।
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जनपद सम्भल को इस आशय से प्रेषित की उक्त विज्ञप्ति को सम्बन्धित बेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित् करें।
8. उपजिलाधिकारी, गुन्नौर।
9. जिला सूचना अधिकारी, सम्भल को इस आशय से प्रेषित की उक्त विज्ञप्ति को जनपद में पढ़े जाने वाले दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें, तथा कृत कार्यवाही से अवगत करायें।

जिलाधिकारी,
सम्भल।

प्रारूप – 2

खनन परिहार हेतु ई–निविदा प्रपत्र

महत्वपूर्ण–किसी प्रकार के कंटिग/ओवरराइटिंग पर ई–निविदा निरस्त की जा सकती है।

1.	विज्ञप्ति संख्या व दिनॉक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया हो	
2.	विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक	
3.	जिस क्षेत्र की निविदा दी जानी है, उसका विवरण क. भूस्वामी का नाम – ख. उपखनिज का नाम– ग. जनपद का नाम– घ. तहसील का नाम– ड.. खनन क्षेत्र का नाम/ ग्राम– च. गाटा संख्या/ खण्ड संख्या/ जोन संख्या– छ. क्षेत्रफल(हेक्टेयर में)– ज. विज्ञप्ति में दी गयी खनन योग्य अनुमानित उपखनिज की मात्रा	
4.	विज्ञाप्ति में परिहार की अवधि	
5.	क्या निविदाकार भूस्वामी है (हॉ/नही)	
6.	निविदाकार का नाम	
7.	निविदाकार के पिता का नाम (यदि लागू हो)	
8.	स्थायी पता	
9.	पत्राचार का पता	
10.	मोबाईल नम्बर	
11.	ई–मेल आईडी	
12.	पता का प्रमाण पत्र का नम्बर (पता का प्रमाण स्वरूप व्यक्ति के लिए आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र तथा फर्म/कम्पनी/निकाय के लिये उनका पंजीकरण का विवरण)	पहचान पत्र की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
13.	जिलाधिकारी या ऐसे अधिकारी द्वारा जो जिलाधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, द्वारा जारी खनन अदेयता का प्रमाण पत्र परन्तु जहां आवेदक प्रदेश में पट्टाधारक/परिहारधारक न रहा हो, वहां इस आशय का शपथ पत्र।	प्रमाण पत्र/शपथ पत्र की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी
14.	जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र	चरित्र प्रमाण पत्र की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।

	प्री बिड अर्नेस्ट मनी का ड्राफ्ट (जिसकी गणना क्षेत्र में आंकलित खनन योग्यं मात्रा एवं उपखनिज की रायल्टी दर से गुणा कर प्राप्त धनराशि का 25 प्रतिशत होगा)	ड्राफ्ट धनराशि ——— बैंक का नाम व शाखा ——— ड्राफ्ट का नम्बर ——— ड्राफ्ट का दिनांक ——— बैंक ड्राफ्ट की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
16.	खनिज के प्रति घन मी0 के लिये दी जाने वाली ई–निविदा की दर– (ई–निविदा की दर उस खनिज के लिये नियमावली–1963 के प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रायल्टी की दर से कम नही होगी।)	रू0–....प्रति घन मी0 (अंको में) रू0–......प्रति घन मी0 (शब्दो में)

उपरोक्त उल्लिखित विवरण मेरी जानकारी में सही व सत्य है। कोई सूचना छिपायी नही गयी है तथा मैं ई–निविदा की समस्त शर्तो को स्वीकार करता हूँ।

दिनांकः–

निविदाकार के हस्ताक्षर

नाम ....

पदनाम...............................

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohmad Halim
Date: 2024.11.23 12:34:48 IST
Location: Uttar Pradesh-UP